

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-2) विभाग

18306
05-08-2021

क्रमांक: प.10(216) कृषि/ग्रुप-2/1974

जयपुर, दिनांक: 4 AUG 2021

MO (L)

निदेशक,
कृषि विपणन निदेशालय,
जयपुर।

04.08.2021

विषय:—भूमि अर्जन के विनिश्चय बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत कृषि उपज मण्डी समिति प्रतापगढ़ के मुख्य मण्डी प्रांगण के विस्तार हेतु मन्दिर श्री रामचन्द्रजी की आराजी नं. 769 की 0.62 हैक्टेयर, आराजी नं. 770 की 0.14 हैक्टेयर, आराजी नं. 771 की 0.01 हैक्टेयर, आराजी नं. 772 की 1.21 हैक्टेयर एवं आराजी नं. 773 की 0.13 हैक्टेयर सहित कुल किता 05 रकबा 2.11 हैक्टेयर भूमि के अर्जन का विनिश्चय किया जाकर भूमि अर्जन की प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,



(बृज गुप्ता)
शासन उप सचिव